

कार्यालय:- प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड, राँची।

कार्यालय आदेश संख्या - 01/यो0ब0 (10) 2014 - 31

राँची-2, दिनांक-25/7/19

वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अधिसूचना संख्या सं0सं0-4/यो0 बजट-42/2010-2371 व0प0, दिनांक 05.05.2015 द्वारा वृक्षारोपण एवं पौधशाला कार्य हेतु दर निर्धारण के लिए राज्य स्तर पर एक स्थाई समिति का गठन किया गया।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड, राँची की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय दर निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 15.04.2019 को आयोजित की गई।

समिति द्वारा निर्धारित कार्य दरों के आधार पर वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए पौध बीज उद्यान Seedling Seed Orchard की स्थापना (न्यूनतम 10 हे0 क्षेत्रफल हेतु) कार्य दर की अनुशंसा की गई। समिति की अनुशंसा पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड का अनुमोदन प्राप्त है। यह दर आदेश के तत्काल प्रभाव से वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए लागू होंगे एवं इसके अगले पुनरीक्षण तक प्रभावी रहेगा।

योजना का नाम : पौध बीज उद्यान Seedling Seed Orchard की स्थापना (न्यूनतम 10 हे0 क्षेत्रफल हेतु) कार्य दर

प्रजाति का नाम :

स्थल का नाम :

रकबा : 1हे0

मजदूरी प्रति मा0दि0 : रू0 237.38

पौधों की संख्या - 1000 प्रति हे0

क्र0 सं0	कार्य का विवरणी	इकाई	मानव दिवस	मजदूरी (रू0 में)	सामग्री (रू0 में)	कुल व्यय (रू0 में)	अभियुक्ति
i	ii	iii	iv	v	vi	vii	viii
(A)	अग्रिम कार्य (प्रथम वर्ष) - मजदूरी रू0 237.38/- प्रति मानव दिवस।						
1	सर्वेक्षण एवं सीमांकन	हे0	3	712.14	0.00	712.14	
2	झाड़ी सफाई						
2.1	सामान्य झाड़ी अथवा		7	1661.66	0.00	1661.66	
2.2	आवंचित पेड़ों को हटाना - कृपया नोट देखें।						
3	घेरान कार्य (240 मीटर लंबा)						
3.1	आर0सी0सी0 पीलर 82 सं0 823.00 रू0 प्रति पीलर। पीलर का आकार 7' x 4" x 4" का निर्माण एवं 1' x 1' x 2' का गड्ढा में ढलाई कर लगाने का खर्च	प्रति इकाई	118	28010.84	39475.16	67486.00	
3.2	कंटीला तार 4Point 2Ply 12swg, 15cm apart 64.32 रू0 प्रति कि0ग्रा0 की दर से 225 kg	प्रति इकाई	0.00	0.00	14472.00	14472.00	
3.3	कंटीलातार को खींचने, सीधा करने, स्त्रेल इत्यादि लगाने का कार्य सहित।	प्रति इकाई	5.93	1407.66	0.00	1407.66	
3.4	आर0सी0सी0 पीलर एवं कंटीलेतार की कार्य स्थल तक ढलाई 15% of (3.1+3.2)	प्रति इकाई	27.51	6530.32	5763.38	12293.70	

4	मृदा कार्य (0.45 मी. x 0.45 मी. x 0.45 मी.) अधिकतम 1000 पीट प्रति हे० (संरक्षण एवं मृदा प्रोफाईल पिट सहित)	हे०	100	23738.00	0.00	23738.00
5	मृदा एवं जल संरक्षण कार्य – कंटूर ट्रेच – अधिकतम 120 कंटूर, साईज 5 मी. x 0.30 मी. x 0.30 मी. का खोदा जाना जिसके बीच की दूरी 2 मीटर से 3 मीटर हो तथा इसकी मिट्टी का नीचे ढाल पर 0.15 मीटर हट कर 0.30 मीटर की चौड़ाई में 0.15 मी. गहरा कोड़नी कर रखा जाना।	हे०	55	13055.90	0.00	13055.90
6	अंश पोधशाला कार्य रात्रि प्रहरी सहित गुणाढ्य वृक्ष अनुसार वृक्ष वार अलग अलग बेड में पौधा तैयार करना।	हे०	15	3560.70	0.00	3560.70
7	सामग्री (उर्वरक, कम्पोस्ट खाद)	हे०	0	0.00	1350.00	1350.00
8	विविध कार्य (छायांकन एवं प्रसार सहित) साईन बोर्ड की स्थापना, आदि।	हे०	1	237.38	150.00	387.38
	योग-		332.44	78914.61	61210.54	140125.15
(B) समापन कार्य (द्वितीय वर्ष) – मजदूरी रू० 261.11/- (10 प्रतिशत वृद्धि करते हुए)						
1	अंश पोधशाला कार्य रात्रि प्रहरी सहित गुणाढ्य वृक्ष वार अलग अलग बेड में पौधा तैयार करना।	हे०	18	4699.98	0.00	4699.98
2	Randomized design अनुसार वृक्षारोपण। कृपया नोट देखें।	हे०	30	7833.30	0.00	7833.30
3	दो कोड़नी निकौनी	हे०	25	6527.75	0.00	6527.75
4	सामग्री (उर्वरक, कम्पोस्ट खाद, डी०ए०पी०/यूरिया जैविक खाद किटनाशनक आदि)	हे०	0	0.00	1575.00	1575.00
5	वनों की सुरक्षा – 30 हे० तक	दिन	275	71805.25	0.00	71805.25
6	विविध कार्य छायांकन एवं प्रसार सहित साईन बोर्ड की स्थापना। प्रत्येक पौधा का गुणाढ्य वृक्ष अनुसार लेवेलिंग, सम्पूर्ण अभिलेख संधारण आदि कार्य।	हे०	0	0.00	1500.00	1500.00
	योग-		348	90866.28	3075.00	93941.28
(C) संधारण कार्य (तृतीय वर्ष) – मजदूरी रू० 287.22/- (10 प्रतिशत वृद्धि करते हुए)						
1	वनों की सुरक्षा (घेरान मरम्मत सहित)	दिन	365	104835.30	0.00	104835.30
2	एक कोड़नी निकौनी एवं मृत पौधों को बदलना।	हे०	16	4595.52	100.00	4695.52

3	सामग्री (उर्वरक, कम्पोस्ट खाद, डी0ए0पी0/यूरिया जैविक खाद किटनाशनक आदि)	हे0	0	0.00	785.00	785.00
योग-			381	109430.82	885.00	110315.82
(D) संधारण कार्य (चतुर्थ वर्ष) मजदूरी रू0 315.94/- (10 प्रतिशत वृद्धि करते हुए)						
1	वनों की सुरक्षा (घेरान मरम्मत सहित)	दिन	365	115318.10	0.00	115318.10
2	एक कोड़नी निकौनी	हे0	14	4423.16	0.00	4423.16
3	सामग्री (उर्वरक, कम्पोस्ट खाद, डी0ए0पी0/यूरिया जैविक खाद किटनाशनक आदि)	हे0	0	0.00	785.00	785.00
योग-			379	119741.26	785.00	120526.26
(E) संधारण कार्य (पंचम वर्ष) - मजदूरी रू0 347.53/- (10 प्रतिशत वृद्धि करते हुए)						
1	वनों की सुरक्षा (घेरान मरम्मत सहित)	दिन	365	126848.45	0.00	126848.45
2	एक कोड़नी निकौनी	हे0	14	4865.42	0.00	4865.42
3	सामग्री (उर्वरक, कम्पोस्ट खाद)	हे0	0	0.00	1478.00	1478.00
योग-			379	131713.87	1478.00	133191.87
(F) संधारण कार्य (षष्ठम वर्ष) मजदूरी रू0 382.28/- (10 प्रतिशत वृद्धि करते हुए)						
1	वनों की सुरक्षा (घेरान मरम्मत सहित)	दिन	365	139532.20	0.00	139532.20
योग-			365	139532.20	0.00	139532.20
(G) संधारण कार्य (सप्तम वर्ष) मजदूरी रू0 420.50/- (10 प्रतिशत वृद्धि करते हुए)						
1	वनों की सुरक्षा (घेरान मरम्मत सहित)	दिन	365	153482.50	0.00	153482.50
योग-			365	153482.50	0.00	153482.50
सकल योग -			2549	823681.54	67433.54	891115.08

नोट :-

1. उपर इंगित दर, आइटम अनुसार है एवं प्रत्येक पौध बीज उद्यान हेतु स्थल आवश्यकता अनुसार प्राक्कलन तैयार कर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक है।
2. साथ ही एक स्थल पर गुणादय वृक्ष अनुसार पौधे तैयार करने एवं उन्हें डिजाइन अनुसार रोपण करने के क्रम में वनस्पति/वानिकी/कृषि/उद्यान शास्त्र में स्नाकोत्तर कक्षा एवं उससे उपर की अहर्ता रखने वाले छात्रों को मानदेय के रूप में अग्रिम कार्य वर्ष एवं समापन कार्य वर्ष में कुल मिलाकर अधिकतम 5 माह नियोजित किया जा सकता है एवं उसके लिए रू0 10,000/- प्रति माह के आधार पर प्राक्कलन में राशि को सम्मिलित किया जा सकता है।
3. पौध बीज उद्यान में झाड़ियों के अतिरिक्त उपलब्ध अन्य अवांछित/कमजोर वृक्षों को हटाने हेतु सक्षम स्तर से पातन अनुमति प्राप्त करें एवं स्थल वार प्राक्कलन समर्पित करें।
4. 10 हे0 क्षेत्रफल के पौध बीज उद्यान में औसतन 50 से 60 गुणादय वृक्षों के बीज के पौधे कम्प्यूटर से Randomized design अनुसार रोपित कराया जाना आवश्यक है। इसके अभिलेख भी संधारित करना आवश्यक है।
5. पौध बीज उद्यान में रोपित पौधों का 3-5 वर्ष पश्चात् प्रोजेनी मुल्यांकन करते हुए अवर (Inferior) गुणवत्ता के पौधों/वृक्षों का निष्कासन किया जाना चाहिये। इससे संबंधित अभिलेख संधारित किये जाय।

समिति की अनुशंसा पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड का अनुमोदन प्राप्त है। यह अनुमोदित कार्यदर तत्काल प्रभाव से वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए लागू होंगी एवं इसके अगले पुनरीक्षण तक प्रभावी रहेगी।


ह0/-

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक- 706 दिनांक-25/7/19

प्रतिलिपि- :-

1. अपर मुख्य सचिव, वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखण्ड सरकार
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची
3. सभी प्रधान मुख्य वन संरक्षक
4. सभी अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं निदेशक प्रसार वानिकी/सभी अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक
5. सभी क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/सभी मुख्य वन संरक्षक
6. सभी वन संरक्षक/सभी वन प्रमण्डल पदाधिकारी
7. इन्चिस केन्द्र झारखण्ड को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची।